राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 650/2006/उदयपुर.

मैसर्स फीमाकेम इण्डिया लिमिटेड,
ई.–98 से 100 एम.आई.ए., जयपुर. .....प्रार्थीगण.

बनाम

1. उप पंजीयक, उदयपुर.
2. रीको उदयपुर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. गुप्ता, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/02/2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–उदयपुर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 34/2002 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.12.2005 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने पत्र दिनांक 10.6.98 से रिको से कम्पनी का नाम मैसर्स एस. केमोर्स लिमिटेड से मैसर्स फीमाकेम इण्डिया लिमिटेड किये जाने का निवेदन किया। इस पर रिको के पत्र दिनांक 20.11.98 से उक्तानुसार नाम परिवर्तित करते हुए लीज की अवधि व शर्तें पूर्व में निष्पादित लीजडीड अनुसार ही रखी गयी। जांचदल द्वारा रिको की ऑडिट के दौरान उक्त कम्पनी का नाम परिवर्तित किये जाने से इस पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किया। उक्त आक्षेप के अनुसरण में उप–पंजीयक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रकरण दर्ज करवाया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त निगरानी अधीन आदेश दिनांक 30.12.2005 से रेफरेंस यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध मुद्रांक शुल्क रूपये 5,20,220/–, पंजीयन शुल्क रूपये 25,000/– एवं शास्ति रूपये 19,780/– सहित कुल रूपये 5,65,000/– की मांग सृजित की गयी। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपने पूर्व नाम मैसर्स एस. केमोर्स लिमिटेड को परिवर्तित कर मैसर्स फीमाकेम इण्डिया लिमिटेड किया गया है एवं उक्तानुसार रिको के रेकॉर्ड में भी परिवर्तन करवाया गया है। इस बाबत ना तो प्रार्थी कम्पनी एवं रिको के मध्य किसी लीजडीड का निष्पादन हुआ है एवं ना ही सप्लीमेंट्री डीड निष्पादित की गयी है। ऐसी स्थिति में जबकि किसी दस्तावेज का निष्पादन ही नहीं हुआ है, तो मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का सृजन किया जाना प्रथम दृष्टया ही विधिविरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2006) आर.आर.टी. (1) 152** का हवाला देते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी का नाम परिवर्तन हो जाने से इसके विधान में परिवर्तन किया गया है, जिस पर मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। रिको द्वारा पूर्व में निष्पादित लीजडीड की शेष अवधि के लिये परिवर्तित नाम से संशोधन किये जाने के कारण यह प्रकरण स्पष्ट रूप से ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में आता है, जिस पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। ऐसी स्थिति में ऑडिट आक्षेप की पालना में उप—पंजीयक द्वारा रेफरेंस प्रेषित किये जाने में एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व कम्पनी मैसर्स एस. केमोर्स लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर मैसर्स फीमाकेम इण्डिया लिमिटेड किया है, जिसके लिये रीको के साथ अलग से कोई सप्लीमेंट्री लीज का निष्पादन नहीं किया गया है। किसी प्रकार की आस्तियां एवं दायित्व हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। ये तथ्य निर्विवाद है। पूर्व कम्पनी ने भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 (जिसे आगे **'कम्पनी एक्ट'** कहा जायेगा) की धारा 21 के तहत नाम परिवर्तन किया है। कम्पनी एक्ट की धारा 21, 23 उद्धरित करना समीचीन होगा —

लगातार.....3

21. Change of name by Company -

A company may, by special resolution and with the approval of the Central Government signified in writing, change its name :

Provided that no such approval shall be required where the only change in the name of a company is the addition thereto or, as the case may be, the deletion therefrom, of the word "private", consequent on the conversion in accordance with the provisions of this Act of a public company into a private company or of a private company into a public company.

23. Registration of change of name and effect thereof -

(1) Where a company changes its name in pursuance of section 21 or 22, the Registrar shall enter the new name on the register in the place of the former name, and shall issue a fresh certificate of incorporation with the necessary alterations embodied therein; and the change of name shall be complete and effective only on the issue of such a certificate.

(2) The Registrar shall also make the necessary alteration in the memorandum of association of the company.

(3) The change of name shall not affect any rights or obligations of the company, or render defective any legal proceedings by or against it; and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the company by its former name may be continued by or against the company by its new name.

कम्पनी एक्ट के प्रावधानानुसार पूर्व कम्पनी ने रजिस्ट्रार कम्पनी से स्वीकृति दिनांक 29.10.97 प्राप्त होने पर दिनांक 1.11.97 की असाधारण सामान्य बैठक में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार रजिस्ट्रार कम्पनीज ने नया इन्कॉर्पोरेशन प्रमाण–पत्र नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप 3.12.97 को जारी किया। परिवर्तित नाम की निगराकार कम्पनी ने रीको को अनुमति हेतु लिखे जाने पर रीको ने पत्र दिनांक 30.11.98 में स्वीकृति जारी की, जिसके अनुसार पूर्व लीजडीड जो मैसर्स एस. केमोर्स लिमिटेड के नाम थी, में नाम संशोधन किया गया है, कोई नई सप्लीमेंट्री लीज निष्पादित नहीं की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को किसी प्रकार के दायित्व व आस्तियां हस्तान्तरित नहीं हुई है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु मुद्रांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति का हस्तान्तरण के अभाव में मुद्रांक शुल्क आकर्षित नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित निर्णय **(2006) आर.आर.टी. (1) 152** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

लगातार.....4

माननीय शीर्ष न्यायालय ने सप्लीमेंट्री लीजडीड निष्पादित होने के बावजूद Transfer of Property Act की धारा 105 के तहत हस्तान्तरण के अभाव में दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क आरोपण को अविधिक अवधारित किया है।

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

18.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य

18/2/14